कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित श्री मुकेश कुमार मेश्राम, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।

प्रार्थी सर्वश्री एक्जक्यूटिव इंजीनियर स्टोर एण्ड प्लान्ट डिवीजन डी0टी0पी0डी0

यू0पी0 रााज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, अनपरा, सोनभद्र ।

प्रार्थना-पत्र संख्या व 027 / 16, 05.12.2016

दिनांक

प्रार्थी की **ओ**र से **श्री सौरभ सिंह गहलौत, फर्म अधिवक्ता।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री एक्जक्यूटिव इंजीनियर स्टोर एण्ड प्लान्ट डिवीजन डी0टी0पी0डी0 यू0पी0 राज्य विद्वुत उत्पादन निगम लि0,अनपरा, सोनभद्र द्वारा दिनांक 05.12.2016 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

- 1- कि बिल की धरनाशि (मैटीरियल का मूल्य एवं कर) पर धारा 34 के अंतर्गत 4 प्रतिशत की कर कटौती की जायेगी।
 - 2- कि केवल मैटीरियल धनराशि पर धारा 34 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की कटौती की जायेगी।
- 3- सर्वश्री डी0एल0डब्लू0 बनारस के इनवाइस रुपया 51,25,159/- का बिल सप्लाई आफ डीजल लोको स्पेयर्स पो0नं0 405/ ईआरीडी-1/ बीटीपीएस / अपनरा / केस फाइल दिनांक 06-06-2016 के अनुसार प्रस्तुत किया है।
- 4- उपरोक्त फर्म का माल के मूल्य के वैट सिंहत धनराशि रुपया 51,25,159/- पर नियम 34 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत पर स्त्रोत पर कटौती की गयी है।
- 5- उपरोक्त / विक्रेता फर्म माल के मूल्य पर नियम 34 के अन्तर्गत 4 प्रतिशत की कर कटौती का निवेदन किया गया है जो विधि प्रतिकूल है।
- 2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री सौरभ सिंह गहलौत, फर्म अधिवक्ता उपस्थित हुए । उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों को दोहराया गया ।
- 3. एडीशनल किमश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, वाराणसी जोन द्वितीय, वारणसी पत्र संख्या-309, दिनांक 13.02.2017 द्वारा प्रेषित आख्या में कहा गया है कि धारा 34 में यह प्रावधानित है कि (माल के व्रिकय पर विक्रेता व्यापारी को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति संदेह मूल्यवान प्रतिफल के कारण किसी दायित्व के निर्वहन के लिए विक्रेता व्यापारी को, चाहे उधार या नगद या किसी अन्य रीति से ऐसा भुगतान करते समय किसी कराधेय माल की बिक्री के कारण व्यवहारी द्वारा संदेह कर की संतुष्टि हेतु माल की कीमत के 4 प्रतिशत के बराबर की धनाराशि की कटौती करेगा।

धारा 34 में भुगतान की बात कही गयी है। भुगतान राशि का आशय सकल मूल्य से है। स्पष्ट है कि भुगतान की जाने वाली राशि पर 4 प्रतिशत की दर से कटौती की जानी है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 के प्राविधान निम्नवत हैं :-

सर्वश्री एक्जक्यूटिव इंजीनियर स्टोर एण्ड प्लान्ट डिवीजन, / प्रा0 पत्र सं0-027 / 16 / धारा-59 / पृष्ठ-2

1- Without prejudice to any other mode of recovery, payment or collection of tax under this Act, the State Government may, by notification in the Gazette, direct that, in a specified case and in the specified circumstances but subject to such conditions as may be specified, every specified person responsible for making payment to the selling dealer, for discharge of liability on account of valuable consideration payable on sale of goods in such cases as may be specified, shall, at the time of making such payment to the seller, either by credit or in cash or in any other manner, towards satisfaction of tax payable by the dealer on account of sale of any taxable goods, deduct an amount determined in the manner specified:

PROVIDED that where in case of a works contract, the contractor has awarded a sub-contract and the notification provides for deduction of amount by the contractee form the payments made to contractor, the contractor responsible for making any payment or discharge of any liability to any sub-contractor, in pursuance of a contract with the sub-contractor, shall, while making payment to the sub-contractor, deduct amount of tax referred to above:

PROVIDED FURTHER that where in case of a works contract, the contractor, has already made deduction from the payments made to his sub-contractor, the amount of such payment shall be deducted from the amount on which deduction is to be made by the contractee to the contractor.

उपरोक्त वर्णित धारा-34 में दी गई व्यवस्था के अनुसार भुगतान करने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भुगतान की जाने वाली राशि पर 4% की दर से कटौती करेगा। प्रार्थी द्वारा पृच्छित प्रश्न बिन्दु संख्या 1, 2, 3, 4 एव 5 में उल्लिखित प्रश्नों के संबंध में प्रार्थी को बिल के सकल धनराशि पर नियमानुसार 4% की कटौती करनी चाहिए जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 में दिए गए प्राविधानों के अनुरुप है।

- 5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, ज्वाइंट किमश्नर (कार्यपालक), वाणिज्य कर, मीरजापुर सम्भाग, मीरजापुर द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि व्यवस्था का परिशीलन किया गया जिसमें पाया गया की उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-34 उल्लिखित प्राविधानों के अंतर्गत भुगतान कराने के लिए उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भुगतान की जाने वाली राशि पर 4% की दर से कटौती करेगा। प्रश्नगत मामलें में प्रार्थी को बिल के सकल धनराशि पर नियमानुसार 4% की कटौती करनी होगी।
- 6. प्रार्थी द्वारा प्रस्तृत धारा-५९ के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता

सर्वश्री एक्जक्यूटिव इंजीनियर स्टोर एण्ड प्लान्ट डिवीजन, / प्रा0 पत्र सं0-027 / 16 / धारा-59 / पृष्ठ-3

है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये। दिनांक 30 अगस्त, 2017

> ह0/ 30/08/2017 (मुकेश कुमार मेश्राम) कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।